

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत..... मुकाम.....

जोना राम बनाम डेनाम राध कौर

किस्म मुकदमा..... नं..... १०७ सन् २०१९

राजस्थान अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/9/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>कुमारी सिंह चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा 111 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/10/19 को पेश हो।</p> <p><u>[Signature]</u> सहायक कलेक्टर (SDO) बायलु</p> <p>21/10/19</p> <p>प्रार्थी करील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामील खुडा प्राप्त जिसे काफिल पत्रावली कीया गया। विप्रार्थी/गण बाबतुस तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय लीन वार कावाज लगाई गई कौन्सि कावाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी/गण हकं या उनही कोर्ट ले कोई कश्चिक्ता उपस्थित नहीं हुका लिहाजा उनके बिबेड एडवरना कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते वदत पत्रावली दिनांक 20/10/19 को पेश है। <u>[Signature]</u></p>	<p>373 25/9/19</p>

(SDO) बायलु



06/11/19

प्राथी वहील उपस्थित। विपथीगिग अनुपस्थित।
 प्राथी के अधिवक्ता की एडपलीग बयत हुनी गई।
 प्राथी के अधिवक्ता द्वारा सिवेलन सीमा गया कि
 प्राथी व विपथीगिगों के खेत सेना सेना काये
 हुए ही प्राथी व विपथीगिगों के सेना पर जो पुरानी
 माडे व डगे काये हुए थे जो वर्तमान के अधिवक्ता की
 वजह से बिध्वर गये हैं। जिससे प्राथी व विपथीगिगों
 के सेना का सही ज्ञान नही हो रहा है। जफत की
 शाकड होने पर विपथीगिग प्राथी के खेतों पर खेत का
 सेना लोड्डर डालत डर लेते हैं। जिस डाल प्राथी व
 विपथीगिगों के बिच तनाजा कना रहता है। इस डाल
 प्राथी को अपने खेतों पर खेत की पक्की नैयामवनी
 डरवाना कावेयडु है। इसलिह प्राथी का नैयामवनी कावे-
 डन स्वीडर हीमा जाडर नैयामवनी कावेयडु हीमा जावे।

अतः प्राथी का नैयामवनी कावेयडन
 स्वीडर किया जाडर तदसीलडा वषडु को डमिशान
 व ~~सका~~ सामबधित भू डमिलेय निरिडु को सहायडु
 डमिशान निबुक्त किया जाडर कौडेश दिया जाण है
 कि काय स्वयं या सहायडु डमिशान के प्राथी के खेत-
 डारी खेतों की पक्की नैयामवनी माडे पर डमिशान
 डुलड रुपथे- 500/- जमाडाडर डरे। पालना रिपॉर्ट
 डालत होने पर शामिल पत्रावली है। पत्रावली केमल
 डुमार डोडर डजी नम्बर के डम है, दाखिल दफतर है।

कमांक / वार / 2019 /
 प्राथीग
 1. गौतम डुने शंकर
 निरिडु

विश्वनाथ
 सहायक कलक्टर
 (SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/

दिनांक:- 6/11/2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गेनाराम पुत्र शेराराम वगैरा जाति जाट निवासी खारडा बेरा बोडवा तहसील बायतु जिला बाडमेर		1. देराजराम पुत्र हरचन्द्रराम वगैरा जाति जाट निवासी खारडा बेरा बोडवा तहसील बायतु(बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 307/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खारडा बेरा पटवार हल्का बोडवा तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 621/148, 627/59 रकबा क्रमशः 10.09, 07.19 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।



क्रमांक/वाद/2019/ 922

विप्रार्थीगण
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 6/11/2019

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोडवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री गेनाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री हरचन्द्रराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

विप्रार्थीगण
उपखण्ड अधिकारी बायतु